न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 252 /2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2023/410

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.अचलचंद तातेड़ पुत्र मिश्रीमल तातेड़ जाति ओसवाल 2.पारसमल गोलेच्छा पुत्र पुखराज गोलेच्छा जाति ओसवाल 3.बबिता पत्नि सुरेन्द्र भंसाली जाति ओसवाल 4.ललिता जैन पत्नि नरेश जैन जाति ओसवाल 5.शिल्पा नाहटा पत्नि राजेश नाहटा जाति ओसवाल 6.संजयकुमार पुत्र मीठालाल चौपड़ा जाति ओसवाल निवासी,बालोतरा तहसील पचपदरा		1.रावाराम पुत्र जमनाराम जाति भील निवासी कानाना तहसील पचपदरा 2.गीतादेवी पत्नि मीठाराम जाति भील निवासी कानाना तहसील पचपदरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2

3.विप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित।

:आदेश :

दिनांक- 30/03/2026

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण1.अचलचंद तातेड़ पुत्र मिश्रीमल तातेड़ जाति ओसवाल 2.पारसमल गोलेच्छा पुत्र पुखराज गोलेच्छा जाति ओसवाल 3.बबिता पत्नि सुरेन्द्र भंसाली जाति ओसवाल 4.ललिता जैन पत्नि नरेश जैन जाति ओसवाल 5.शिल्पा नाहटा पत्नि राजेश नाहटा जाति ओसवाल 6.संजयकुमार पुत्र मीठालाल चौपड़ा जाति ओसवाल निवासी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 476 मौजा बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1378/477 व 1379/477 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा मार्क ए से सी कायम करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया था,कि प्रार्थीगण के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए,बी,सी तक यानि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1378/477,1379/477 भूमि में से चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस थी कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है,क्योकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से कोई रास्ता अवस्थित ही नहीं है,तो रास्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नही है। इसके अलावा विप्रार्थी की भूमि के पास जुड़ती आबादी भूमिया खसरा संख्या 478 व 179 अवस्थित है,जिसके रेकर्ड खातेदार को प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है,इस कारण आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य है। क्योकि जब तक खसरा संख्या 478 व 479 मे से रासता घोषित नही होता है,तब तक विप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

के खातेदारी की भूमि मे से किसी भी तौर से रास्ते की घोषणा नही की जा सकती है। खसरा संख्या 478,479 जो आबादी भूमि मे है,के संबध में अनुतोष प्रदान करने का कोई श्रवणाधिकार श्री न्यायालय को नहीं है,क्योकि धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के प्रावधान कृषि भूमि के लिए कृषि भूमि मे से ही रास्ता घोषित करने का प्रावधन प्रावधित है। प्रार्थीगण द्वारा जो हस्तगत आवेदन के जरिए रास्ता अनुतोष चाहा गया है,जो कि बहुत लंबा रास्ता है। जबकि इसके अलावा वैकल्पिक रासता खसरा संख्या 479 के खातेदार को पक्षकार बनाकर खसराा संख्या 1199/480 के कार्नर से प्राप्त किया जा सकता है,जो कम लंबाई का व निकटतम रास्ता है,जो प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छिपाए गए है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5. **हमनें** उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1378/477 च 1379/477 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :-

6. प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी खेत से मुख्य सड़क मार्ग पंहुचे हेतु खसरा संख्या1379/477,1402/1378,1403/1378478 मे से रास्ता भूमि प्रस्तावित की गई है।

7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251-क,राजस्थान का''तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः-

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। पत्रावली के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 24.10.2025 अवलोकन से स्पष्ट है,कि प्रस्तावित रास्ता भूमि खसरा संख्या 1379/477 व 1403/1378 की किस्म कृषि आधारित उधोग है,जो कि कृषि भूमि नही होकर गैर कृषिक भूमि की किस्म है तथा खसरा संख्या 478 किस्म गै.मु.आबादी भूमि मे दर्ज है,जो कि राजस्व न्यायालय आबादी भूमि मे रासता स्वीकृत करने के श्रवणाधिकार मे नही है। इसके अलावा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 1379/477 व 1403/1378 की किस्म कृषि भूमि नही होकर गैर कृषिक भूमि होने के कारण रास्ता दिए जाने का धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे प्रावधान नही है। उक्त धारा के तहत कृषि भूमि मे से ही रास्ता दिए जाने का प्रावधान होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

30/3/2026

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

30/3/2026

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा